

12/12/19

पत्रावली पेश हुई। अधीन अधिकांश की वृत्त धुनी गई।
अधिकारों द्वारा अधीन पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते
हुए कुछ निवेदन किया कि अधीन अधीन पत्र में वर्णित
19/12/20 की पेश की।

19/02/2020

पत्रावली पेश हुई। अधीन अधिकांश की वृत्त धुनी गई।
अधिकारों द्वारा अधीन पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते
हुए कुछ निवेदन किया कि अधीन अधीन पत्र में वर्णित
आराजी नं- 1031 संख्या 108 ई० अर्थात् का वाजेदार कृषक
है, जिसके कुछ भाग पर विपक्षीयों द्वारा अतिक्रमण करने
की कोशिश की जा रही है, जिसे रोक जाना आवश्यक है।
सुविधा का संतुलन अधीन के पक्ष में, अधीन का प्रकरण
उपरोक्त दृष्टिकोण साबित है, और अगर विपक्षी को पावट
नहीं दिया जाय तो अधीन अतिक्रमण शक्ति ले सकती है।
ऐसी स्थिति में विपक्षी से विरुद्ध अत्याई निषेधाज्ञा
जारी फरमावे। अधिकारों की वृत्त पर एंग अधीन पत्र
के साथ संलग्न रेकॉर्ड का अवलोकन करते हुए मंगल
दिनांक को अधीन का अधीन पत्र उपरोक्त दृष्टिकोण साबित है,
सुविधा संतुलन अधीन के पक्ष में होने से अधीन
पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्र०सं० 77/2019
2019/00029

अतः अधीन द्वारा उपरोक्त अधीन पत्र अस्तित्व
धारा 212 के अंतर्गत वृत्त अधीन विरुद्ध विपक्षी लाफंसला
भूलवाट के इत आरम्भ की जिसे अत्याई निषेधाज्ञा जारी
की जाती है कि अधीन की वाजेदारी आराजी संख्या 1031
संख्या 108 ई० अर्थात् में किसी भी तरह का भ्रमण नहीं
को, अधीन को शान्तिपूर्वक उपयोग, उपयोग करने देवे, अधीन
की इत आराजी में किसी प्रकार की स्वतंत्रता न ले
स्वयं जो और न अन्य से लवे।

पत्रावली के अनुसार लेटर नम्बर से उपरोक्त है।



(Signature)
19/12/2020
(सुन्दरलाल बख्शी)
R A S
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भिलवाडा)

